

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक: 513 / 13-भवन 2023

दिनांक : 19-5-2023

सेवा में,

प्रबन्धक
लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल यूनिट-2,
रायभा, रुनकता बाईपास रोड, आगरा।

बिषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम
यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के
अनुपालन में स्कूल भवन हेतु सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक LKPS/22/05/2023 Dated 13/05/2023

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में सूचित कराना है कि लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल
यूनिट-2, रायभा, रुनकता बाईपास रोड, आगरा के विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण अवर अभियन्ता
द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त विद्यालय भवन का निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं
एवं वर्तमान में विद्यालय भवन पूर्णतया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर
प्रेषित है।

संलग्न-प्रमाण पत्र।

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.
निर्माण खण्ड (भवन), लो.नि.वि.
आगरा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल यूनिट-2, रायभा, रुनकता बाईपास रोड, आगरा के विद्यालय भवन का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया गया। विद्यालय के भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के प्राविधान सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। विद्यालय भवन पूर्णतया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है।


अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0,
आगरा